Helpline No:- +91 7597122440

# जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय

मदाऊ, भांकरोटा–मुहाना लिंक रोड, जयपुर (राज.) - 302026

वेबसाईट : www.jrrsanskrituniversity.ac.in ई–मेल - jrrsu@yahoo.com टेलीफैक्सः 0141 -2850551–75

क्रमांक : प ( ) जरारासंविवि / शै.मी. / 22 / 1408 दिनांकः– 6/5/22

## कार्यपरिषद की 70 वीं बैठक दिनांक 21.05.2022
## प्रातः 11.30 बजे का बैठक कार्यवाही विवरण

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की 70 वीं बैठक का आयोजन दिनांक 21.05.2022 को प्रातः 11.30 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन स्थित सभाकक्ष में माननीया कुलपति महोदया की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार रहीः–

1 डॉ0 अनुला मौर्य, माननीया कुलपति महोदया, जरारासंविवि, जयपुर।
2 प्रो0 रामकिशोर शास्त्री, श्री वैष्णव आश्रम, दारागंज, प्रयागराज–211006 (उ.प्र.)
3 डॉ0 माताप्रसाद शर्मा, सह आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, जरारासंविवि, जयपुर।
4 डॉ0 कैलाशचन्द्र शर्मा, सहायक आचार्य, ज्योतिष विभाग, जरारासंविवि, जयपुर।
5 डॉ0 राजधर मिश्र, कार्यवाहक कुलसचिव, सदस्य सचिव (पदेन), जरारासंविवि, जयपुर।

डॉ0 कैलाशचन्द्र शर्मा, सहायक आचार्य के मंगलाचरण के साथ कार्यपरिषद् के बैठक की कार्यवाही आरम्भ हुई तथा निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

| बिन्दु संख्या | बिन्दु | निर्णय |
|---|---|---|
| 70–1 | कार्यपरिषद् की 69वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि। | कार्यपरिषद् की 69 वीं बैठक दिनांक 07.04.2022 के बिन्दु संख्या 69–10 के निर्णय में सहवन से अंकित पत्र क्रमांक 1901 एवं दिनांक 11.04.2022 के स्थान पर पत्र क्रमांक 1397 दिनांक 14.03.2022 के संशोधन के साथ समस्त कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई। |
| 70–2 | वित्त समिति की बैठक दिनांक 06.05.2022 का बैठक कार्यवाही विवरण अनुमोदनार्थ। | सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया तथा कार्यपरिषद् की 69वीं बैठक दिनांक 07.04.2022 के बिन्दु संख्या 69–20 के निर्णय के संबंध में आगामी वित्त समिति में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु वित्त नियंत्रक को अधिकृत किया गया। |
| 70–3 | विश्वविद्यालय के अनुसंधान केन्द्र द्वारा आयोजित सप्त दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय अनुसंधान प्रविधि कार्यशाला (International Workshop on Research Methodology) का आयोजन दिनांक 21.04.2022 से 27.04.2022 तक किया गया। उक्त कार्यशाला में किये गये विभिन्न व्ययों / कार्यों के संबंध में निदेशक अनुसंधान केन्द्र का यू0ओ0नोट क्रमांक 5980 दिनांक 17.05.2022 अनुमोदनार्थ। | सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। |
| 70–4 | सत्र 2021–22 के लिए शास्त्री / आचार्य पाठ्यक्रम संचालन बाबत् अस्थाई संबद्धता हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1998 की धारा 23(2)(ख) के | सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। |

| | | |
|---|---|---|
| | अनुसार महाविद्यालयों की संबद्धता के आवेदनों का निप्टारा करने हेतु संबद्धता समिति की अनुशंषा उपरान्त निरीक्षण बोर्ड एवं कार्यपरिषद् की स्वीकारता की शर्त पर राजकीय विटठ्लनाथ सदाशिव पाठक आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, कोटा को शास्त्री एवं आचार्य स्तर पर नव्यव्याकरण विषय हेतु अस्थायी संबद्धता प्रदान किये जाने के शैक्षणिक विभाग के कार्यालय आदेश क्रमांक 888–894 दिनांक 17.05.2022 की पुष्टि। | |
| 70–5 | विद्यापरिषद् की 31वीं बैठक दिनांक 13.05. 2022 का बैठक कार्यवाही विवरण अनुमोदनार्थ। | सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। |
| | **आसन की अनुमति से** | |
| 70–6 | श्री सोहनलाल यादव, सेवानिवृत्त सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, जरारासंविवि को विश्वविद्यालय में राज्य सरकार के नियमानुसार सेवानिवृत्ति पश्चात् कार्य पर रखने बाबत्। | विश्वविद्यालय में स्थापित पुस्तकालय में सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष नहीं होने के कारण पुस्तकालय को डिजिटल करने की प्रक्रिया क्रियान्वित नहीं हो पा रही है, इसलिये पुस्तकालय में पूर्व में कार्यरत डॉ0 सोहनलाल यादव जी, जो पूर्व में पुस्तकालयाध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्त हैं, उनके द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र पर विचार करते हुए राज्य सरकार के नियमानुसार समेकित मानदेय के आधार पर नियुक्त किये जाने का कार्यपरिषद् द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। |
| 70–7 | विश्वविद्यालय में कार्यरत अशैक्षणिक कार्मिकों की पदोन्नति व अन्य सेवा संबंधी नियमों को अंगीकार करने हेतु प्रकरण विचारार्थ। | विश्वविद्यालय में कार्यरत अशैक्षणिक कार्मिकों की पदोन्नति व अन्य सेवा संबंधी कार्यवाहियों हेतु पूर्व में प्रचलित समस्त नियमों को प्रत्याहारित करते हुए राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर में प्रचलित एवं अनुमोदित नियमों के संबंध में राजपत्र के नोटिफिकेशन आरयूएचएस, जयपुर दिनांक 08.10.2020 को इस विश्वविद्यालय में अंगीकृत कर उक्त नियमों को अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का कार्यपरिषद् द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। राज्य सरकार से उक्त नियमों के अनुमोदन उपरान्त विश्वविद्यालय के अशैक्षणिक कार्मिकों की पदौन्नति व अन्य सेवा संबंधी कार्यवाही |

Helpline No:- +91 7597122440

# जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय

मदाऊ, भांकरोटा–मुहाना लिंक रोड, जयपुर (राज.) - 302026

वेबसाईट : www.jrrsanskrituniversity.ac.in ई–मेल - jrrsu@yahoo.com टेलीफैक्स: 0141 -2850551–75

| | | |
|---|---|---|
| | | किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। |
| 70–8 | डॉ0 माताप्रसाद शर्मा, निदेशक अनुसंधान केन्द्र द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार निदेशक राजस्थान मंत्र प्रतिष्ठान, निदेशक अनुसंधान केन्द्र एवं निदेशक शैक्षणिक परिसर पद पर कार्यावधि के संबंध में विचारार्थ/निर्णयार्थ। | उक्त प्रकरण के संबंध में माननीय कुलपति महोदया को अधिकृत किया गया। |
| 70–9 | श्री सुरेन्द्र मोहन शर्मा, कनिष्ठ लिपिक के माननीय न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के संबंध में। | श्री सुरेन्द्र मोहन शर्मा के विषय में श्री भरत व्यास, एडवोकेट जो विश्वविद्यालय के इस प्रकरण में अधिवक्ता है, उनसे विधिक राय निम्नानुसार प्राप्त हुई:–"The university is to comply with the order dated 09-04-2022 affirmed by the division bench on 05-05-2022 by reinstating Surendra Mohan Sharma to the promotional post of LDC, which of course, would always be subject to the decision of CWP No. 4727/2022."<br>उक्तानुसार माननीय उच्च न्यायालय के रिट पिटिशन संख्या 4727/2022 के अंतिम निर्णय के अध्ययधीन पारित स्थगन आदेश को सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए तद्नुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। |

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

1.06.22

(डॉ0 राजधर मिश्र)
कुलसचिव

01.06.22

(प्रो0 अनुला मौर्य)
कुलपति एवं अध्यक्ष कार्यपरिषद्

क्रमांक : प ( ) जरारासंविवि/ शै.मी./22/ 1409 – 15

दिनांकः– 6/6/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 सचिव महोदय, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर।
2 सचिव महोदय, संस्कृत शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3 उपशासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4 निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय, जरारासंविवि, जयपुर।
5 कार्यपरिषद् के समस्त सदस्य, ज.रा.रा.सं.वि.वि., जयपुर।
6 प्रभारी, वेबसाइट को भेजकर लेख है कि उक्त बैठक कार्यवाही विवरण को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करावें।
7 संबंधित विभाग.......................................................................... को भेजकर लेख है कि अपने विभाग से संबंधित बिन्दुओं की पालना अविलम्ब सुनिश्चित करावें।

7.06.22
कुलसचिव